

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-50)/2019/

दिनांक :

आदेश

श्री सुभाष जाखड, प्रयोगशाला सहायक (प्रोबेशनरी ट्रेनी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूण्डवा (नागौर) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(एफडी)रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 07.08.2014 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत दिनांक 28.12.2016 से 16.03.2017 तक कुल 79 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जाती है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-50)/2019/ 161

दिनांक : 14/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूण्डवा (नागौर)।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. श्री सुभाष जाखड, प्रयोगशाला सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर